पहल अक्तूबर में लागू होगी माता-पिता सुरक्षा नियमावली

अच्छी सेवा करें, प्रोन्नति पाएं

संवाददाता ■ पटना

अक्तूबर के तीसरे सप्ताह से माता-पिता सहित अन्य बुजुर्गों के भरण व सुरक्षा के लिए नियमावली लागू होगी. धोखा देकर या बहला-फुसला कर माता-पिता की संपत्ति अपने नाम करा ली और सेवा नहीं की, तो शिकायत और जांच के आधार पर चल-अचल संपत्ति माता-पिता को कानूनी तौर वापस कर दी जायेगी. समाज कल्याण विभाग विचार कर रहा है कि माता-पिता की बेहतर सेवा करनेवाले सरकारी सेवकों को प्रोन्नति भी दी जा सकती है. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के आधार पर राज्य में नयी नियमावली बनायी जा रही है. बेटा-बेटी या पोता-पोती की आय के आधार पर तय किया जायेगा कि उनके आश्रित बुजुर्ग को साथ नहीं रखने और अवहेलना करने में मासिक कितना भुगतान करना होगा. 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग या लाचार, अपंग मां-बाप या आश्रित भरण-पोषण नहीं करने के मामले की शिकायत स्थानीय एसडीओ के पास दर्ज करा सकते हैं. भरण पोषण अधिकारी के तौर पर जिला कल्याण पदाधिकारी कार्य करेंगे.

प्रत्येक जिले में न्यायिक अधिकरण

हर जिले में बुजुर्गों की देखभाल के मामले की सुनवाई के लिए न्यायिक अधिकरण का गठन होगा. इसका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय दिया जायेगा. सामाजिक सुरक्षा निदेशालय को निर्देश दिया गया है कि तीन से चार सप्ताह के अंदर नयी नियमावली बना दी जाये, ताकि अक्तूबर के तीसरे सप्ताह इसे लागू कर दी जाये.

खास बातें

- भरण-पोषण संबंधी शिकायत एसडीओ कार्यालय में दर्ज करायी जा सकेगी
- माता-पिता की पैतृक संपत्ति सेवा नहीं करने पर बेटा-बेटी से वापस ले ली जायेगी
- जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे भरण-पोषण अधिकारी
- सामाजिक सुरक्षा निदेशालय बना रहा नियमावली

माता-पिता के भरण-पोषण एवं सुरक्षा संबंधी नियमावली तीन से चार सप्ताह के अंदर तैयार कर ली जायेगी. अक्तूबर के तीसरे सप्ताह से नयी नियमावली लागू कर दी जायेगी. बेटा-बेटी या परिजनों द्वारा माता-पिता या संबंधी बुजुर्ग की संपत्ति धोखे या बहला-फुसला कर अपने नाम करा ली गयी हो और वह व्यक्ति भरण-पोषण की जिम्मेवारी नहीं निभाता हो, तो संपत्ति फिर से माता-पिता को वापस हो जायेगी.

परवीन अमानुल्लाह, समाज कल्याण मंत्री